न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/25/2021 रजि0 नं0 2021/17

प्रवेश तिथि 09.02.2021

अपीलार्थी
श्री डूँगरसिंह मीना पुत्र श्री प्रसादीलाल,
निवासी–ग्राम कुण्डला, तहसील–राजगढ (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.03.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.11.2020 के माध्यम से ग्राम–कुण्डला, तह. राजगढ में विवादित भूमि नामान्तकरण सं. 550 दिनांकः 24.08.2020 से संबंधित मामले के क्रम में मुख्य सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, अलवर को इस अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर एस.डी.एम. राजगढ से 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की वांछी की गई। उक्त आवेदन, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पत्र सं. 1495–96 दिनांकः 18.11.20 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ को धारा 6(3) के तहत अन्तरित करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया गया।
5. आवेदन दिनांकः 02.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय, पत्र सं. 7313 दिनांकः 18.12.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रा0पत्र दिनांकः 01.02.2021 के माध्यम से प्रस्तुत की गई जो कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्र सं. 379 दिनांकः 05.02.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु उनकी ओर से पत्रांकः 154 दिनांकः 26.02.2021 के माध्यम से अपील का जवाब प्रेषित किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।

9/3

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.11.20 के क्रम में पत्र सं. 7313–14 दिनांकः 18.12.20 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय करते हुए वांछित दस्तावेजों की फोटोप्रति भी उपलब्ध कराते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

8. अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय दिनांकः 18.12.20 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना को आधा–अधूरा, कोर्ट के आदेश की पालना में बिन्दु सं. 1 व 4 का स्पष्टीकरण करके समस्त सही सूचनाऐं उपलब्ध कराने की अपेक्षा लोक सूचना अधिकारी से की गई है।

9. स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु न तो आवेदन–पत्र ग्राह्य किये जाने योग्य हैं और न ही लोक प्राधिकारी दायित्वाधीन है। प्रत्यर्थी द्वारा उनके कार्यालययी अभिलेखानुसार पत्र सं. 7314–15 दिनांकः 18.12.20 के माध्यम से बिन्दुवार किया गया विनिश्चय उचित है। अपील खारिज किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु अपील खारिज की जाती है।

11. आज दिनांकः 09.03.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

9/3/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)